इकाई 1

लिंग मुद्दा : मुख्य संकल्पना

भारतीय समाज में लिंग व सेक्स की अवधारणा को एक ही समझा जाता हैं। लेकिन इसमे अंतर हैं। जैविक दृष्टि से सेक्स शारीरिक विशेषताओं को दर्शाता हैं, तो लिंग सामाजिक विशेषताओं का ध्योतक हैं। शारीरिक अंतर के आधार पर हम कह सकते हैं,कि यह पुरुष हैं और ये महिला हैं। जबकि लिंग समाज मे व्यवहार को प्रदर्शित करता हैं। समाज दोनों लिंग को समाजीकरण के माध्यम से अलग- अलग रूप मे व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता हैं।

यूनेस्को के अनुसार – सेक्स पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक अंतर का वर्णन करता हैं , जो सार्वभौमिक हैं, और जन्म के समय निर्धारित हैं।

लिंग – लिंग उन पुरुषों और महिलाओ कि भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संदर्भित करता हैं ,जो हमारे लिए बनाई गई हैं, जैसे परिवार के प्रति, समाज के प्रति, संस्कृतियों के प्रति।

क्रमांक	**आधार**	**लिंग**	**सेक्स**
1.	परिभाषा	सामाजिक अंतर	जैविक अंतर
2.	अर्थ	सामाजिक, सांस्कृतिक के अनुरूप	शारीरिक बनावट के अनुरूप
3.	परिवर्तन	समाज द्वारा निर्धारित भूमिकाए , जो समय अनुरूप परिवर्तित हो सकता हैं।	परिवर्तन संभव हैं लेकिन जैविक दृष्टि से शरारिक शल्य चिकित्सा द्वारा

लिंग और सेक्स में अंतर :

1.1. लिंग की अवधारणा (Assumption of Gender) :

लिंग मूल लैटिन शब्द 'जीनस ' से आया है, जिसका अर्थ प्रकार (kind, type, sort) ।लिंग से तात्पर्य एक ऐसे समूह से हैं, जो सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट विशेषताएँ पुरुषों और महिलाओं के सामाजिक व्यवहार और सम्बन्धों को

परिभाषित करती हैं। लिंग इस बात को दर्शाता हैं, कि पुरुषों और महिलाओं से किस प्रकार के व्यवहार की उम्मीद करते हैं । हम कह सकते हैं , कि लिंग बहुत अधिक सीखा हुआ व्यवहार हैं । लिंग व्यक्तित्व के गुणों से परिभाषित होता हैं , जैसे दृष्टिकोण, व्यवहार, मूल्य जो समाज को बताता हैं, कि ये पुरुष और महिला हैं ।

1.1.1. लिंग की परिभाषा (Definition of Gender):

लिंग शब्द अँग्रेजी के शब्द का हिन्दी रूपान्तरण हैं । फेमिनिस्ट के अनुसार- " सामाजिक लिंग को स्त्री - पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन अथवा स्त्री- पुरुष के मध्य असमान सम्बन्धों की व्यवस्था के रूप मे परिभाषित किया जा सकता हैं" ।

1.1.2. लिंग की विशेषताएँ (Characteristics of Gender) :

लिंग अपने आप मे एक सम्पूर्ण शब्द हैं , लेकिन इसकी सामाजिक मान्यता हैं , तथा यह अग्रलिखित विशेषता रखता हैं।

1. **लिंग एक गतिशील अवधारणा हैं** : लिंग सामाजिक रूप से निर्मित होता हैं , यह समाज की मान्यताओं और मापदण्डों पर आधारित होता हैं , समाज और समाज मे प्रचलित मूल्य लैंगिक भूमिकाओं और सम्बन्धों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक समाज या संस्कृति की अपनी समझ होती हैं। जो स्त्री, पुरुष के लिए अनुकूलित होती हैं। यह समय के प्रभाव के कारण परिवर्तित हो सकती हैं।

जैसे:- यदि अन्य संस्कृति उसमें सारगर्भित हो जाए , जैसे अंतर्जातीय विवाह या शिक्षा का संगम। इस प्रकार लिंग एक गतिशील अवधारणा बन गई हैं।

2. **लिंग पदानुक्रम पर आधारित हैं :** लिंग मे अधिकारों , भूमिकाओं, ज़िम्मेदारियो और सम्बन्धों की एक सारणी शामिल होती हैं। अधिकार , भूमिकाएँ, ज़िम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति को निभानी पड़ती हैं। जैसे महिला से अपेक्षा की जाती हैं, कि वह गृहकार्य मे दक्ष हो, जबकि पुरुषों से यह अपेक्षा की जाती हैं, कि वह गृहस्थी को सुखपूर्वक चलाने के लिए धन अर्जन करे। जिनके आधार पर उनके अधिकार के क्षेत्र को निहित किए जाता हैं।
   अत: हम कह सकते हैं , कि रिश्ते मे पदानुक्रम भी लिंग से प्रभावित होता हैं। धनार्जन करने वालों को उच्च प्राथमिकता दी जाती हैं।

3. **लिंग एक सामाजिक प्रक्रिया हैं :** लिंग मे सीखा व्यवहार या अधिग्रहित पहचान शामिल हैं , समाजीकरण की प्रक्रिया एक व्यक्ति और व्यक्ति के अनुसार लिंग की भूमिका को स्वीकार करता हैं। हम सभी जानते हैं , कि सामाजिक परिवेश लिंग के अनुसार अपेक्षा करता हैं। उदाहरण के लिए पुरुष द्वारा स्त्री की रक्षा की अपेक्षा कि जाती हैं, तो स्त्री से अपेक्षा की जाती हैं , वह परिवार के सभी व्यक्तियों का सम्मान करे। यह समाजीकरण की प्रक्रिया के अंदर आता हैं।

4. **लिंग व्यक्तित्व का आकार देने की प्रक्रिया हैं :** लिंग में व्यक्तित्व लक्षण, व्यवहार मूल्य शामिल हैं, जो समाज को बताता हैं, अंतर के आधार पर दो लिंगों के लिए : लिंग अक्सर व्यक्तित्व को आकार देता हैं , और एक व्यक्ति के व्यवहार लक्षण बताता हैं। जैसे लड़कियों रोकर अपनी संवेदना बताती हैं , लेकिन जब लड़कों की बात आती हैं ,तो उन्हे रोक किया जाता हैं। उसे बताया जाता हैं , कि लड़कियों की तरह मत रो। वैसे ही कई लड़का शास्त्रीय नृत्य मे रुचि दिखाता हैं तो उसे अप्राकृतिक करार दिया जाता हैं। उसे भांड तक की संज्ञा दी जाती हैं। लिंग व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता हैं।

5. **लिंग शक्ति का प्रतीक हैं :** शक्ति संबंध लिंग द्वारा संचालित होता हैं। जैसे पुरुष प्रधान देश मे निर्णयकर्ता के रूप मे पुरुष ही मान्य हैं। घर के मुखिया के पास शक्ति होती की वह निर्णय ले सके। नेतृत्व के लिए पुरुषो को ही चयनित किया जाता हैं। महिला प्रधान समाज मे महिलाओं का निर्णय लेने का अधिकार होता हैं। शक्ति के रूप मे माँ दुर्गा को

पूजा जाता हैं। लिंग के आधार पर कार्य वितरित किए जाते हैं , नहीं तो उपहास का कारण बनते हैं। जैसे लड़को का बावर्ची बनाना, महिला का विमान चालक बनकर देशसेवा करना आदि।

6. **लिंग संसाधन उपयोग का निर्धारण :** संसाधनो का निर्धारण लिंग के आधार पर किया जाता हैं । नियम और नियम के अनुसार निर्धारित लिंग की विचार धारा से किसी व्यक्ति की संसाधनो तक पहुँच निर्धारित होती हैं। आमतौर पर पुरुषों, भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा के रूप मे संसाधनों पर अधिक से अधिक पहुँच और दावा कर सकता हैं, जैसे सामान्यत: समाज मे देखा जाता हैं, कि महिला के पहले पुरुष खाना खाते हैं।

7. **लिंग और सांस्कृतिक विभिन्नता :** विभिन्न संस्कृतिकयों मे लैंगिक भूमिकाएँ अलग –अलग होती हैं , लिंग निर्धारण मे संस्कृति महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाती हैं। जैसे धार्मिक अनुष्ठान महिलाएं नहीं कर सकती हैं। घर के लिए महत्वपूर्ण सामाग्री की खरीरदारी पुरुषों द्वारा ही होती हैं।

अत: हम कह सकते हैं, कि लिंग एक सामाजिक निर्माण हैं, जो व्यवहार, भूमिका, जिम्मेदारी को प्रभावित करती हैं।

1.2. लिंग के अनुभव विभिन्न समाज , समूहों क्षेत्र और समय अनुसार Experience of gender is across different society groups' region and time period

समय से ही महिलाओं को हेय दृष्टि से देखा जाता था , उसे अबला, ताड़न की अधिकारी आदि नामो से पुकारा जाता था । लेकिन शिक्षा के प्रचार –प्रसार से परिस्थितियाँ बदली हैं। अब महिलाओं को समानता का अधिकार दिया जाने लगा हैं।

1.2.1. लिंग के अनुभव विभिन्न समाज के Experience of gender is across different society groups

1. **सामान्य वर्ग** : यह वह वर्ग है , जिसमे मुख्यत: सम्पन्न व शिक्षित परिवार को सम्मलित किया जाता हैं। इस वर्ग मे लिंग भेदभाव कम देखने को मिलता हैं। लेकिन पुरुष प्रधान देश होने के कारण जो नीव मे स्थापित हैं , उसको तोड-पाना मुश्किल हैं । लिंग भेदभाव की जड़े इतनी समाई हैं , कि कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं रहा हैं । आज भी शाम के बाद लड़कियों को बाहर जाने की रोक टोक हैं । कौनसा कार्य चयन करना चाहिए,कौनसा नहीं जरूरत के अनुसार

आज भी सामान्य वर्ग मे देखने को मिल जाएगा। आज इंजीनियरिंग पास महिलायें शिक्षा के क्षेत्र मे आ रही हैं,क्योकि परिवार की मान्यता हैं, कि यह महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित व सुविधाजनक व्यवसाय हैं।

2. **पिछड़ा वर्ग :** इसमे वे वर्ग सम्मलित है, जो किसी कारण से शिक्षा से वंचित हुए हैं। किन्ही कारणों से ये समाज इतनी प्रगति नहीं कर पाया। वे ऐसे क्षेत्र मे रहते थे ,जहां सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं, या कुछ संकीर्ण मानसिकता के कारण ये समाज इतनी प्रगति नहीं कर पाया। शिक्षा के बढ़ते प्रसार के कारण महिलाओं प्रेरित होकर बाहर आ रही हैं। लेकिन कई पीढ़ी अशिक्षित होने के कारण मस्तिष्क का विकास संभव नहीं हो पाया हैं। अब धीरे धीरे भेदभाव को मिटाने का पूरा प्रयास किया जा रहा हैं।

3. **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति :** यह वर्ग आज भी सबसे शोषित वर्ग मे आता हैं, चूंकि प्राचीन काल से ये समाज शोषितों की श्रेणी मे आता हैं। अतः महिलाओं की स्थिति बद से बद्त्तर हो गई। छोटे कार्य करने वाले , मजदूर वर्ग आदि जहां मेहनताना देने मे भी भेदभाव किया जाता हैं। वैसे तो यह भेदभाव सभी समाज मे देखने को मिलता हैं, लेकिन इस समाज की स्थिति बद से बदत्तर हैं। अन्य समाज मे महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता हैं, लेकिन दलित महिलाओं को हेय दृष्टि से देखा जाता हैं। उनका मानसिक व शारीरिक शोषण किया जाता है। चूंकि ये समाज आज भी शिक्षा का वह स्तर प्राप्त नहीं कर पाया हैं जिससे इस समाज का विकास हो। शिक्षा के प्रति नीरसता व वर्ण व्यवस्था के कारण समाज मे भेदभाव को बढावा मिला हैं।

4. **अल्पसंख्यक समुदाय :** एक ऐसा समुदाय जिसकी भारत मे स्थिति नगण्य हैं, जैसे –जैन समुदाय, बौध्य, मुस्लिम, क्रिश्चयन आदि। कई समुदाय में महिलाओ की स्थिति आज भी अच्छी नहीं हैं। जैन समुदाय मे महिलाएं इसलिए दीक्षा लेकर सन्यास ले रही हैं , कि माता –पिता उनकी शादी के लिए दहेज का बोझ नहीं उठा सकते हैं। वैसे ही मुस्लिम समाज मे महिला स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती। बुर्का प्रथा तो आज भी इस समाज मे शुल की तरह कार्य कर रही हैं।

1.2.2. लिंग के अनुभव विभिन्न क्षेत्र के साथ Experience of gender is across different region

1. **शहरी क्षेत्र :** शहरी क्षेत्र मे महानगरीय , नगरीय, कस्बा आदि सभी सम्मलित हैं। कस्बे या छोटे –छोटे शहर मे लिंग भेदभाव या संकीर्ण मानसिकता के तहत आज भी कार्य बाटें हुए हैं। कस्बे मे महिला यदि कोई कार्य करे जो केवल पुरुष कर सकते हैं, तो महिला का मनोबल तोड़ने के लिए उसे हत्तोसहित किया जाता हैं , या अति प्रोत्साहित किया जाता हैं। दोनों ही परिस्थितियों मे व्यक्ति का मानसिक स्तर प्रभावित होता हैं। जो शहरो मे आम बात होती हैं कि वह पुरुषो के कार्य भी कर सकती हैं ,लेकिन वही कस्बे के महिला के लिए खास हो जाता हैं , अर्थात छोटे छोटे शहरों और कस्बों मे आज भी लिंग के प्रति मानसिकता नहीं बदली। आज भी कार्य-कार्य न होकर किसी विशेष लिंग के लिए बनाया गया कार्य ही होता हैं। एक एड फिल्म मे बताया जाता है, कि सफलता के लिए लड़कियों को गोरा होना आवश्यक हैं। यह वही मानसिकता हैं, कि हर लिंग के लिए कुछ मापदंड निश्चित हैं।

2. **ग्रामीण क्षेत्र :-** भारत एक कृषि प्रधान देश हैं , यहा बहुल संख्या मे लोग गावों मे रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र मे लिंग के आधार पर कार्य बाटें जाते हैं , जूताई का कार्य कौन करेगा , फसल काटने का काम कौन करेगा। साथ ही कई प्राचीन प्रथाएँ भी गावों मे प्रचलित हैं , जैसे बाल विवाह। कम उम्र मे विवाह के कारण महिलाओं मे जल्दी प्रसूति और विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं। गावों मे अंतर्जातीय विवाह के कारण पालक द्वारा ही हत्या जैसा कांड भी कर दिया जाता हैं। शिक्षा का प्रसार गावों मे नहीं हो पाता हैं। विद्यालय भी पर्याप्त मात्रा मे नहीं हैं। विद्यालय दूर होने के कारण लड़कियों की पढ़ाई रोक ली जाती हैं। गावों मे लिंग भेद की यह घटनाए भी देखने को मिलती हैं , जैसे लड़कियों को सही पोषण नहीं दिया जाता हैं। क्योकि वो शारीरिक श्रम नहीं करती हैं। साथ मे विद्यालयों से यह कह कर दूर रखा जाता हैं , कि घर मे उन्हे अपने छोटे छोटे भाई बहन संभालना हैं , या घर का कार्य करना हैं। ग्रामीण क्षेत्र की यही विडम्बना हैं।

1.2.3. लिंग के अनुभव समय अनुसार Experience of gender is across different time period

1 **प्राचीन काल:-** भारत का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा हैं। प्राचीन ग्रन्थों में यदि हम वैदिक साहित्य , रामायण, शिवपुराण आदि सभी मे देखे तो लिंग भेद नगण्य माना गया हैं। हिन्दू के देवी देवताओं मे शिव को तो अर्ध्दनारीश्वर का अवतार माना जाता हैं, अर्थात पुराणों मे महिला को देवी, आदिशक्ति,जननी की उपमा दे गई हैं। रामायण मे सीता को सह भार्या, सहचारी आदि की उपमा दी गई हैं। प्राचीन ग्रंथो को देखे तो महिलाओं के साथ उच्च कुल मे भेदभाव कम ही देखने को मिलता हैं। राजकुमारी को गृह कार्य, कला, के साथ अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा भी दे जाती हैं , बस एक भेदभाव देखने को मिलता है कि गुरुकुल मे केवल लड़कों को ही विद्या दी जाती थी, और लड़कियों को महलो मे ही रहकर शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। इस काल मे कई विदुषी महिला हुई जैसे गार्गी , अनुसूया, तारा जो वेदो की ज्ञाता होने के साथ उत्तम वक्ता भी थी। लेकिन यदि निम्न कुल की बात करे तो महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं थी।

2 **मध्यकाल :-** मध्यकाल भारत का चित्रण जवाहरलाल नेहरू की भारत एक खोज व चाणक्य द्वारा लिखे नीतिशास्त्र मे मनुष्य की उस समय की परिस्थियों का वर्णन हैं। लिंग भेद उस समय चरम सीमा पर था , महिलाओं को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता था। कुछ क्षेत्रो जैसे राजपूत, मराठा आदि जगह महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन उस काल मे मुगल आगमन के कारण वे उपभोग को वस्तु बन गई थी , सतीप्रथा, पर्दा प्रथा इसी दौर मे अस्तित्व मे आई। कई राज्यों मे उत्तम वीरांगना थी जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर युद्ध करती थी। उनका राजनीति मे भी उतना ही हस्तक्षेप होता था। लेकिन यह उच्च कुलों तक ही था , अन्य स्थानो पर महिलाओं को विलासिता का प्रतीक ही माना जाता था, इस काल मे महिलाओं के अधिकारों का पतन प्रारम्भ हो चुका था।

3 **ब्रिटिशकाल** :- इस काल मे मुगलों के समय से चल रही प्रथा समाप्त तो नहीं हुई। लेकिन महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई, अत्याचार बढ़ने लगे। महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। घर की चार दीवारी मे ही उन्हे रखा जाता था। बंगाली साहित्यकार शरद्चंद्र के उपन्यास मे नारी व्यथा , नारी उत्पीड़न की बात हैं। सपनों की उड़ान भरने वाली महिला को चरित्रहींन आदि भी कहा गया हैं। वो उस समय का चित्रण था। लेकिन स्वतन्त्रता की लड़ाई मे प्रबध्द जनों के साथ महिला सहयोग अविस्मरणीय हैं। कस्तूबा , सरोजनी नायडू,लक्ष्मीबाई इनका योगदान रहा लेकिन ये केवल उँगलियों पर गिनी जा सकती हैं। महिलाओं को दबाकर ही रखा जाता था।

4 **आधुनिक काल :** वर्तमान काल में शिक्षा के प्रचार-प्रसार से लिंग भेद में कमी आयी हैं। समाजीकरण की एक नई परिभाषा मिली हैं। समाज में लिंग के आधार पर भूमिकाओं मे परिवर्तन आ रहा हैं। महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। महिलाओं के शक्ति को पहचाना जा रहा हैं। नेतृत्व के लिए उन्हें आगे लाया जा रहा हैं। अब नारी को अबला के रूप मे न लेकर सबला से सुशोभित किया जा रहा है। लेकिन लिंग भेद पूर्णत: समाप्त करने के लिए कई कार्य करने पढ़ेंगे, और शिक्षा मे गुणवत्ता लाने का प्रयास करना पड़ेगा।

1.3. समाज में लैंगिक भूमिकाओं में चुनौतियां: परिवार , जाति, धर्म, संस्कृति, मीडिया और लोकप्रिय संस्कृति (फिल्में , विज्ञापन, गाने, आदि), कानून और राज्य . Challenges in gendered roles in society: Family, caste, religion, culture, the media and popular culture (films, advertisement, songs, etc,), law and the State

1.3.1. समाज में लैंगिक भूमिकाओं में चुनौतियां: परिवार (challenges in gendered roles in society: Family)

समाज की औपचारिक इकाई हैं , परिवार। परिवार मे रहकर व्यक्ति समाज के रीति रिवाज सीखता हैं। व्यक्ति समाज मे रहने के तौर – तरीके, समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व परिवार मे रह कर ही सीखता हैं । परिवार सही मायानों मे व्यक्ति को समाज की पहचान करवाती हैं।

परिवार के सामने व्यक्ति का उसका उत्तर दायित्व का बोध कराना एक चुनौती के समान हैं । चूंकि भारतीय समाज पुरुष प्रधान रहा हैं। अतः वह उसी के अनुसार उत्तर दायित्व का विभाजन करता हैं। पुरुष का कार्य परिवार के लिए रोजी-रोटी कमाना तथा महिला का कार्य गृहस्थी को सुचारु रूप से चलाना ।

परिवार के सामने यह प्रश्न उठता हैं , कि व्यक्ति को उसके उत्तरदायित्व का बोध कैसे कराये । क्योंकि लिंग भेद का प्रश्न उठता हैं। जैसे बेटियों कि सुरक्षा के लिए कहा जाता हैं , कि रात मे घर से बाहर ने निकले या देर रात बाहर न रहे।

जबकि बेटों को कोई रोक टोक नहीं होती हैं। यह कथन तो लिंग भेदभाव को दर्शाता हैं , लेकिन इसमे सुरक्षा की भावना हैं, क्योंकि महिला आज भी असुरक्षित हैं।

परिवार में माता –पिता द्वारा लड़कियों के पहनावे , उसके व्यवहार आदि के लिए रोका जाता की ऊँची आवाज मे बात न करे। इससे लड़कियों का व्यक्तित्व दबा- दबा से रहता हैं। उनमे आत्मविश्वास की कमी होती हैं।

परिवार को चाहिए, कि वह बेटियों को सबल बनाए, कि वो हर परिस्थितियों का सामना कर सफलता पूर्वक कर सके। परिवार द्वारा महिलाओं मे आत्मविश्वास बढाने का कार्य करना चाहिए।

1.3.2. समाज में लैंगिक भूमिकाओं में चुनौतियां : जाति (challenges in gendered roles in society: caste)

प्रत्येक जाति की अपनी विशेषता रहती हैं , इन्ही विशेषताओं के आधार पर लिंग के कार्य निर्धारण व समाज मे भूमिका निर्धारित होती हैं। जैसे कई आदिवासी समूह मे महिला प्रधान होती हैं , तो सारे निर्णय वही लेती हैं। लेकिन अधिकरतर महिला के कार्य निश्चित होते हैं। जो उनकी शारीरिक सरंचना के अनुसार निश्चित होते हैं। जाति विशेष किसी समाज से बंधा होता हैं , और वह उस समाज के नियमों और क़ानूनों का पालन करता हैं। यदि कोई समाज विरोधी कार्य करता हैं, तो उसका दंड निश्चित होता हैं। जातिगत विशेषता के तहत बहुत कम सामज ऐसे होते हैं , जो लिंग भेदभाव न करके समानता के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रत्येक जाति में एक लिंग की प्रमुखता तो होती है।

समाज के प्रमुख को यह समस्या सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। समाज में योग्यता के आधार पर महिला व पुरुष को समानता का अधिकार देना चाहिए। जातिगत नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्थान पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

1.3.3 समाज में लैंगिक भूमिकाओं में चुनौतियां: धर्म (challenges in gendered roles in society: religion)

भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य हैं। यहाँ कई धर्मों का पालन किया जाता हैं। प्रत्येक धर्म के अपने रीति –रिवाज , कर्मकाण्ड होता हैं। उसमें भी भूमिकाएँ बंधी होती हैं। शादी ब्याह में न तो कोई पंडिताइन शादी करवाती हैं, न कोई मौलवी एक महिला होती हैं । धर्म मे भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए पुरुष प्रधानता रहती हैं। महिला उपेक्षित ही रहती हैं। धर्म के अनुसार समाज में भूमिकाएँ बंधी होती हैं। जैसे हिन्दू धर्म मे सीता जैसे पतिव्रता पत्नी और भगवान राम की तरह एक पत्निव्रत नियम का पालन करने के लिए कहा जाता हैं। मुस्लिम धर्म मे केवल तीन बार तलाक कहकर तलाक लेने की मान्यताए प्रचलित हैं। अतः कह सकते हैं , कि धर्म के परिप्रेक्ष्य मे अभी लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए काफी प्रयास करने पड़ेंगे।

1.3.4 समाज में लैंगिक भूमिकाओं में चुनौतियां : मास –मीडिया (challenges in gendered roles in society: mass –media)

फिल्म-विज्ञापन मे लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा दिया जाता हैं , विज्ञापन उत्पाद बेचने के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए वो बाज़ार की नब्ज को पहचानते हैं , जैसे भारतीय समाज मे लड़कियां गोरी होगी , तो आत्मविश्वास बढेगा और वह प्रगति करेंगी , ये नकारात्मक सोच है , जिसके कारण महिलाओं मे कुंठा आती हैं। फिल्मों मे लड़कियों का या तो पतिव्रता या ऐसे नायिका के रूप मे दिखते हैं , जिसे सफलता पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता हैं। यह लिंग भेद स्वरूप आई मानसिकता ही हैं, जिसके कारण छोटे से कार्य के लिए भी महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता हैं।

मीडिया ने लिंग भेदभाव दिखाने व दूर करने का पूरा प्रयास किया हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 70 साल बाद भी गावों मे महिला के स्वास्थ के साथ खेला जाता हैं। एक विज्ञापन मे यही दर्शाया गया, कि व्यक्ति सिगरेट खरीद सकता हैं, लेकिन महिला को बीमारी से बचाने के लिए सेनेटरी नैपकिन नहीं खरीद सकता। आज भी छोटे –छोटे गावों मे जो हालत है , वो मीडिया द्वारा दिखाई जाती हैं। खाना बनाने के उत्पाद जैसे तेल , मसाले ,आटा आदि उत्पाद मे महिला कलाकार ही होती हैं, तथा जीवन बीमा का एजेंट हो या सीमेंट का विज्ञापन पुरुष कलाकार ही देखने को मिलेंगें ।

धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा हैं। कुछ विज्ञापन मे लड़कों को खाना बनाते हुए ,तथा लड़कियों को उच्च पद प्राप्त करते हुए दिखाया जाता हैं। मास-मीडिया का प्रभाव आम जनता पर बहुत पड़ता हैं। इसके द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता हैं।

1.3.5. समाज में लैंगिक भूमिकाओं में चुनौतियां: संस्कृति (challenges in gendered roles in society: culture)

भारतीय संस्कृति मे विविधताएँ हैं , इसमें अनके संस्कृति और उसका मिश्रण देखने को मिलता हैं। भारतीय संस्कृति मे हर प्रांत की अपनी विशेषताएँ होती हैं, चाहें वह आदिवासी समाज हो या ब्राह्मण। महाराष्ट्रियन संस्कृति भिन्न हैं, तो गुजराती संस्कृति भिन्न। प्रत्येक प्रांत की अपनी विशेषता हैं , किसी मे महिला को सम्मान दिया जाता है , समानता का दर्जा दिया जाता हैं, तो कही संकीर्ण मानसिकता के तहत महिला को पैरों की जूती समझा जाता हैं। किसी संस्कृति मे महिला को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता हैं , तो कही घर मे रहकर महिला परिवार का संबल बनती हैं। यह उस समाज के व्यवसाय पर भी निर्भर करता हैं। यदि ऐसे संस्कृति हो जिनका व्यवसाय नौकरी हो तो, महिलाएँ भी कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करती हैं। कई ऐसे संस्कृतियाँ हैं , जहां व्यापार ही व्यवसाय हैं। वहाँ महिलाएँ घर गृहस्थी पर ज्यादा केन्द्रित होती हैं।

1.3.6. समाज में लैंगिक भूमिकाओं में चुनौतियां : कानून और राज्य (challenges in gendered roles in society : law and state)

विश्व का कोई भी राष्ट्र हो वो लिंग भेद के समस्या से गुजर रहा हैं , लेकिन वह इस समस्या से निदान के लिए कानून भी बनाए गए हैं, भारत के संविधान मे सभी की समानता को लेकर अनुच्छेद पारित किए हैं, ताकि सबक़ों समानता का अधिकार प्राप्त हों।

अनुच्छेद 14 : इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के किसी भी नागरिक को वर्ण , जाति ,रंग, लिंग, भाषा आदि के आधार पर न तो विशेषाधिकार प्राप्त होगा और न ही उसे पूर्णतः वंचित किया जा सकता हैं।

अनुच्छेद 15 : राज्य किसी भी नागरिक के विरूध्द किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म , वंश, जाति, लिंग, के आधार पर किसी भी निर्योग्यता, दायित्व या शर्तों के अधीन नहीं होगा व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु विशिष्ट प्रावधान कर सकता हैं।

अनुच्छेद 16 : राज्य के अधीन किसी रोजगार या नियुक्ति के बाबद नागरिकों लिंग , आयु, जाति, धर्म, वंश, आदि के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता हैं।

अनुच्छेद 21: प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का सरंक्षण: किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रकिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 23: मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध : इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद-बिक्री , बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ , श्रम निषिद्ध ठहराया गया है , जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है।

अनुच्छेद 39: राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा, कि सुनिश्चित रूप से
(क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हों:
(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो;

अनुच्छेद 42 : कार्य की न्यायोचित दशाएँ बनयेगा तथा महिलाओं को नि:शुल्क प्रसूति सहायता उपलब्ध करायेगा ।

अनुच्छेद 325-326 ; भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिकों को मताधिकार प्राप्त हैं । किसी नागरिक को धर्म , जाति, वर्ण, संप्रदाय अथवा लिंग भेद के कारण मताधिकार से वंचित नही किया जा सकता ।

महिला मानवाधिकार के संबंध मे अधिकार:-

1. **चलचित्र अधिनियम 1952** :- इस अधिनियम मे सेंसर बोर्ड के गठन का प्रावधान हैं , जो ऐसी फिल्मों पार रोक लगाएगा, जिससे महिलाओं की मर्यादा भंग होती हैं।

2. **स्त्री विशिष्ट रूपण (प्रतिबंध) 1986:-** इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी महिला को इस प्रकार चित्रित नहीं किया जा सकता हैं , जिससे उसकी सार्वजनिक नैतिकता का आघात पहुंचे। समस्त विज्ञापन , प्रकाशन ,आदि में अश्लीलता पर प्रतिबंध लगाया गया हैं।

3. **प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 :** इस अधिनियम द्वारा गर्भावस्था में बालिका भ्रूण की पहचान कराने पर रोक लगाई गई हैं।

1.4. लड़कियों को शिक्षा की असमान पहुँच: स्कूलों तक पहुँच: घर और समाज में लैंगिक पहचान निर्माण Unequal access of education to girls: access to schools: gender identity construction at home and in society

सबसे पहले लैंगिक पहचान निर्माण के लिए कुछ अवधारणा को समझना आवश्यक हैं :-

1. **लिंग भूमिकाएँ:** विशेष आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भूमिकाएँ और एक संस्कृति में पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली जिम्मेदारियाँ लिंग भूमिका के अंतर्गत आती हैं, जैसे नेताओं के रूप मे केवल पुरुष की कल्पना की जाती हैं, और घर के कामों के लिए महिलाओं को ही सोचा जाता हैं।

2. **लैंगिक समानता:** किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर भेदभाव का अभाव

   प्राधिकरण, अवसर, संसाधनों या लाभों का आवंटन , और सेवाओं तक पहुंच। इसके लिए हम निम्न प्रयास कर सकते हैं।

   यदि समाज में लैंगिक समानता को बनाए रखना है , तो सबसे महत्वपूर्ण कदम के रूप में हमे स्त्री तथा पुरूष के शैक्षणिक स्तर को समान करना होगा। स्त्री शिक्षा पर अधिक जोर देना होगा ताकि वह भी पुरुष की बराबरी कर सके। इस क्षेत्र में सरकार द्वारा भी अनेको कदम उठाए जा रहे हैं। उदाहरणार्थ- "बेटी-बचाओ , बेटी-पढ़ाओ" सरकार का एक सफल कार्यक्रम है। *रोजगार के समान अवसर:-* यह जरूरी है , कि रोजगार के अवसर लिंग के आधार पर न निर्धारित हों, अपितु इन्हें कार्य कौशल के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। ऐसा करने से महिलाओं का न केवल जीवन स्तर ऊंचा होगा बल्कि साथ ही साथ वे राष्ट्र निर्माण में पुरुषों के समान ही अपनी भूमिका निभा सकेंगी, फलस्वरूप लैंगिक समानता स्वतः ही समाज में कामयाबी से पाँव जमा लेगी।

3. **लिंग न्यायसम्मत** : महिलाओं और पुरुषों के लिए निष्पक्ष होने की प्रक्रिया। कभी-कभी यह इसमें उन ऐतिहासिक नुकसानों के निवारण के उपाय शामिल हैं , जिन्होंने पुरुषों को रोका है , और महिलाओं को अधिकारों और विशेषाधिकारों के समान पहुंचाया है। समानता से समानता आती है। लिंग इक्विटी से यह भी पता चलता है , कि स्वास्थ्य की आवश्यकताएं, जो प्रत्येक लिंग के लिए विशिष्ट हैं, उचित संसाधन प्राप्त करें।

4. **लैंगिक जागरूकता** : यह समझना कि पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्धारित संसाधनों से मतभेद है, और लैंगिक जागरूकता इनका उपयोग और नियंत्रण करते हैं।

5. **लिंग संवेदनशीलता**: वर्तमान में लिंग अंतर और मुद्दों को समझने की क्षमता , और रणनीतियों और कार्यों में इन्हें शामिल करना, लिंग अंधेपन के विपरीत जाकर लिंग संवेदनशीलता के अंतर्गत आता हैं ।

6. **लिंग विश्लेषण** : पुरुषों की विभिन्न भूमिकाओं से उत्पन्न होने वाली असमानताओं की पहचान करता है , और महिलाएं अपने जीवन के लिए इन असमानताओं के परिणामों का विश्लेषण करती हैं ,स्वास्थ्य और भलाई के लिए हैं।

7. **लिंग मुख्यधारा** : इस प्रक्रिया का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है , कि महिला और पुरुष चिंताओं और अनुभव डिजाइन , कार्यान्वयन, निगरानी और के लिए अभिन्न अंग हैं , सभी कानूनों , नीतियों और कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता हैं।

8. **लिंग समता** : यह एक संख्यात्मक अवधारणा जिसका संबंध सापेक्ष समानता से है , महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों और लड़कों की संख्या और अनुपात के लिए। शिक्षा में , इसका अर्थ है , लड़कों और लड़कियों की समान संख्या अलग-अलग स्तर और विविध रूपों में शैक्षिक सेवाएं प्राप्त करती हैं, ।

1.4.1 विद्यालय मे होने वाले लिंग भेदभाव के कारण , समस्याएँ और उसके निदान (Causes, problems and diagnosis of gender discrimination in school)

लिंग के प्रति अज्ञानता व अशिक्षा के कारण मनुष्य सामाजिक रूप से जो निश्चित भूमिकाओं मे तो बंध जाते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से उस पर भेदभाव का असर हावी रहता हैं , जो उसकी मानसिक शक्ति का हास्स करता हैं। यह भेदभाव शिक्षा के क्षेत्र मे भी देखने को मिलता हैं। लड़कियों को किसी न किसी रूप मे शिक्षा से दूर रखा जाता हैं।

विद्यालय प्राथमिक सामाजिक एजेंट के रूप मे कार्य करता हैं। विद्यालय का एक उत्तरदायित्व रहता हैं , कि वह व्यक्ति को अपने लिंग की पहचान, सम्मान कराये । उसमें अपने लिंग को लेकर आत्मविश्वास आए । ताकि वह समाज मे एक सम्मानीय स्थान बना सके ।

विद्यालय मे यह बात अक्ष्यम होनी चाहिए, कि विशेष लिंग के कारण विद्यार्थियों को उनके जुनून का पीछा करने से नहीं रोका जा सकता हैं। यह कहकर विशेष लिंग यह कार्य नहीं कर सकता हैं , हम मानव क्षमता के एक अविश्वसनीय स्त्रोत तक पहुँच खो नहीं सकते हैं।'

1.4.2 विद्यालय मे होने वाले लिंग भेदभाव के कारण ,समस्याएँ

1. **विद्यालय नामांकन मे लिंग पूर्वाग्रह :** लिंग के आधार पर भेदभाव शिक्षा की एक प्राथमिक बाधा हैं। इससे पुरुष और महिलाएं दोनों प्रभावित होते हैं। कई क्षेत्रों मे लड़कों के शैक्षिक अवसर कम होते हैं , कारण हैं -आर्थिक परिस्थिति । आर्थिक परिस्थिति के चलते व्यक्ति घर के लिए रोजगार मे लग जाता हैं। पढ़ाई के साथ काम के बोझ तले वह शिक्षा के उच्च स्तर को प्राप्त नहीं कर पाता । इसी कारण उच्च शिक्षा मे नामांकन मे गिरावट नज़र आती हैं। विश्व की समस्या हैं, कि लडकियाँ भेदभाव का शिकार होती हैं। चूंकि शिक्षा ही लिंग में समानता लाने कि एकमात्र कुंजी हैं।

   साक्षरता दर में वृद्धि के साथ समानता में भी प्रतिशत वृद्धि होगी । लेकिन दूर के ढ़ोल सुहाने ही होते हैं , क्योकि भारतीय समाज कि जड़ मे जो भेदभाव हैं , उसको मिटाना आसान नहीं हैं। भारतीय समाज मे लिंग समानता ने अभी तक अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं किया हैं, क्योंकि लिंग भूमिकाएँ समाज से ही ली गई।

   एक अन्य कारण हैं, नामांकन मे कमी वह हैं, असुरक्षा की भावना का। महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, उनकी स्थिति भी सुधार हो रहा हैं, लेकिन वह अपेक्षित नहीं हैं । आज लड़कियां विद्यालयों मे भी यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। इस कारण से परिवार वाले लड़कियों को शिक्षित होंने से रोक रहे हैं। असुरक्षा की भावना के तहत वे महिला शिक्षिका से ही पढ़ना चाहते हैं। इस कारण शिक्षण मे महिला प्रधानता हो रही हैं, यह लिंग भेदभाव का ही एक कारण बन गया तो शिक्षा क्या रोक पाएगी ?

2. **शाला त्यागी व लिंग भेदभाव :-** जिस तरह उच्च शिक्षा के नामांकन में कमी देखी गई। उसी प्रकार मध्य में ही शाला छोड़ने में बहुलता देखी गई । विद्यालय में जाने वाली लड़कियों के रास्ते में कई सामाजिक बाधाएँ हैं ,जैसे गरीबी, परिवार का पालन- पोषण , छोटे भाई-बहनों की देखभाल , गर्भाधान, शिक्षा को लेकर गलत धारणाएँ-जैसे लड़कियों को शिक्षा की जरूरत नहीं हैं , उन्हे कौनसा घर चलाना हैं। विद्यालय में महिला शिक्षक की कमी , बेटियों को शिक्षित करने में सीमित आर्थिक लाभ लड़कियों के लिए अलग से विद्यालय, सहायक सुविधाएं जैसे पर्याप्त और स्वच्छ शौचालय की कमी, आवागमन सुविधाएं नहीं। किशोरवस्था के पश्चात शारीरिक परिवर्तन के कारण असुरक्षित होने की भावना । भारतीय समाज में यह आम धारणा हैं, कि बेटी पराया धन होती हैं। अतः घर में उसे सरंक्षित रखना

चाहिए। क्योंकि उसे कल दूसरे घर जाना हैं। जबकि बेटा तो वारिस हैं , उसे तो घर चलाना हैं। घर का उत्तरदायित्व बेटों के कंधो पर होता हैं, यह कहकर उसे उच्च शिक्षा प्राप्त कराई जाती हैं।

शाला त्यागी विद्यार्थी हर स्तर पर मिलेंगे चाहे प्राथमिक स्तर पर हो या माध्यमिक स्तर पर। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए जो वंचित जातियों , समुदाय, जनजातियाँ, और विकलांगों की श्रेणी मे आती हैं , जिनकी शिक्षा दुष्कर हैं। इसलिए 2/3 प्रतिशत महिला ही साक्षर हैं।

3. **घरेलु ज़िम्मेदारीयों मे लिंग पूर्वाग्रह** : घरेलु जिम्मेदारियों में लिंग पूर्वाग्रह देखने को मिलता हैं। समाज में महिला और पुरुष की क्षमता के अनुसार कार्यों का विभाजन किया जाता हैं। लिंग के भेदभाव के कारण समाज का विकास नहीं हुआ हैं। इसी भेदभाव व लगातार उपेक्षा के कारण हम एक दूसरे के मुक हत्यारे बन जाते हैं। हालांकि , सभी के लिए समान अवसर भारत के सविधान मे मौलिक अधिकार के रूप मे भी दिये गए हैं। लेकिन मनुष्य का स्वार्थ उसे आगे नहीं बढने नहीं देता हैं।

4. **बालिका शिक्षा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण:** विद्यालयों मे जाने वाली लड़कियों के रास्ते मे सामाजिक अवरोध और सामाजिक दृष्टिकोण ठीक नहीं हैं। समाज मे भी महिला का मुखर होना उच्च पद पर आसीन होना सबको रास नहीं आता हैं। इसलिए समाज मे अलग से महिला मण्डल का गठन किया जाता हैं। यही पर पुरुष और महिला का विभाजन होता हैं, ये प्रबुध्द जनो मे होता हैं।‘

सामाजिक दृष्टिकोण को दो वर्गो मे विभाजित कर सकते हैं-परोपकारी,पूंजीवादी। परोपकारी माता –पिता होने पर वह दोनों बच्चों मे भेदभाव नहीं करता। सामाजिक व्यवस्था का उनके बच्चों पार कोई प्रभाव नहीं डालता। दूसरी ओर ऐसे माता पिता जो पूंजीवादी हैं , तो वह रिटर्न को खोजते हैं , इनसे हमे क्या प्राप्ति होगी। इसलिए एक के रूप में तर्कसंगत पूंजीवादी, माता-पिता केवल पुरुष बच्चे का स्वागत करते हैं। जैसा कि मानव पूंजी की क्षमता है कमाई , माता-पिता मानव पूंजी संचय के लिए पुरुष बच्चे पर ही निवेश करते हैं , इसलिए यदि माता-पिता पूरी तरह से पूंजीवादी हैं, तो परिवार में केवल पुरुष बच्चे का स्वागत करते हुए मिलेंगे। लेकिन भ्रूण परीक्षण और भ्रूण हत्या इसी का परिणाम हैं, हालाँकि नए जन्मे बच्चे का लिंग होता है, अदृश्य हाथ द्वारा निर्धारित किया जाता है।

1.4.3 विद्यालय मे होने वाले लिंग भेदभाव के कारणों का निदान

महिला शिक्षा मूल्य आधारित हों : वर्तमान की महिलाएं अतीत की तुलना में बहुत अधिक स्वतंत्र हैं। महिला की स्थिति मे वर्तमान मे बड़ा परिवर्तन आया है। वे जिंदगी के सभी क्षेत्रों में वृद्धि के लिए ईमानदार प्रयास कर रही हैं। महिलाएं अधिक जिम्मेदार साबित हुई हैं , और महान समर्पण के साथ काम करती हैं। देश महिलाओं को शिक्षित किए बिना विकास नहीं कर सकता है। महिलाओं की शिक्षा है , पुरुषों के समान ही महत्वपूर्ण है। यह भी कहा जा सकता है , कि महिलाओं को शिक्षित करना अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। यदि हम एक महिला को शिक्षित करते हैं , तो हम एक परिवार को शिक्षित करते हैं। एक शिक्षित महिला अपने कर्तव्य का पालन बड़ी कुशलता से कर सकती हैं। वह अपने परिवार को बेहतर तरीके से चला सकती है। शिक्षित महिला अपने सम्मान के लिए लड़ सकती हैं। ' उसे पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा है, क्योंकि वह अपनी जीविका कमा सकती है शिक्षा उसे आत्मविश्वास से भर देती है , और वह उसे समाज में उचित स्थान दिलाने में सक्षम होती है।

शिक्षा के प्रसार के साथ महिलाओं ने अब पुरुषों के साथ समानता का दावा करना शुरू कर दिया है। महिला शिक्षा ने कई अवसर दिए हैं। आज, अधिक से अधिक महिला नौकरी कर रही है। वे अब जीवन के सभी क्षेत्रों में खुद को बढ़ाने के लिए ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। भारतीय संविधान ने पुरुषों के साथ महिलाओं को भी पूर्ण समानता प्रदान की है।

1.5. भारतीय सामाजिक संदर्भ: भारतीय सामाजिक व्यवस्था (पितृसत्ता) में शक्ति और अधिकार। एक विशिष्ट लिंग प्रभाव और शिक्षा के अवसरों के लिए बच्चे का समाजीकरण) Indian societal context: power and authority in Indian social system (patriarchy). Socialization of child into a specific gender influences and opportunities for education

1.5.1 सत्ता के आधार पर परिवार

सत्ता के आधार पर परिवार को दो भागों मे बांटा जा सकता हैं :-

1. **पितृसत्तामक परिवार** : पितृसत्तामक परिवार वहाँ होती जहां पिता परिवार का मुखिया होता हैं। अर्थात वह समाज पुरुष प्रधान होता हैं। इस समाज मे निर्णय पिता द्वारा ही लिए जाते हैं। इस प्रकार पिता के पास सम्पूर्ण अधिकार होते हैं महिला अधीनता स्वीकार करती हैं। जैसे आज भी भारतीय समाज मे विवाह के बाद महिला को माता पिता का घर छोड़कर जाना पड़ता हैं। वह उस परिवार की सदस्य हो जाती हैं जहां उनका विवाह हो जाता हैं, और उसे पति की परंपरा का निर्वाह करना पड़ता हैं।

2. **मातृसत्तामक परिवार** : मातृ सत्तामक परिवार वहाँ होती जहां माता परिवार का मुखिया होती हैं। अर्थात वह समाज महिला प्रधान होता हैं। इस समाज मे निर्णय माता द्वारा ही लिए जाते हैं। इस प्रकार माता के पास सम्पूर्ण अधिकार होते हैं। पुरुष अधीनता स्वीकार करती हैं। वैसे इसके साक्ष्य नहीं हैं केवल ख़ासी आदिवासी क्षेत्र मे बताया जाता है , कि वह महिला प्रधान समाज हैं।

1.5.2 समाजीकरण की अवधारणा

समाजीकरण का साधारण शब्दों मे समझा जाए तो कह सकते हैं , जिसमे जैविकप्राणी को सामाजिक बनाया जाये। समाजीकरण वह प्रक्रिया हैं, जिसमे मनुष्य समाज मे रहने के विभिन्न व्यवहार, रीति-रिवाज व गतिविधियां सिखाता हैं। समाजीकरण के माध्यम से किसी संस्कृति को ग्रहण करता हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया मे समाज के नीति –नियमों का पालन करना पडता हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया को दो प्रकार से समझा जा सकता हैं ,प्राथमिक समाजीकरण और दिवतीयक समाजीकरण।

प्राथमिक समाजीकरण : परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती हैं। वही समाजीकरण का पहला पाठ पढ़ा जाता हैं। परिवार मे माता –पिता और बड़े बुजर्गों द्वारा समाज मे रहने के तरीके , बढ़े बुर्जगों का सम्मान करना सीखया जाता हैं। समाज मे कैसे रहना , सबक़ों साथ लेकर कैसे चलना सीखया जाता हैं। बालक परिवार से भाषा , संस्कृति,और प्रतीक

चिन्हों को ग्रहण करता हैं। जिसे वह भविष्य मे प्रयोग करता हैं। परिवार मे व्यक्ति को उसके लिंग के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता हैं। उसकी भूमिकाओं से उसका परिचय कराया जाता हैं।

दिवतीयक समाजीकरण ; परिवार के पश्चात बालक समाज तथा विद्यालयों मे जाता हैं , जहां उसके व्यक्तित्व का विकास होता हैं। समाज के नियम अपनाकर विकास, सम्मान पाता है। समाज मे तो यह प्रक्रिया अनऔपचारिक होती हैं, लेकिन विद्यालय मे ये प्रक्रिया औपचारिक रूप से सिखाई जाती हैं। यहाँ भेदभाव तो कम आत्मविश्वास लाने के लिए शिक्षा द्वारा प्रयास किया जाता हैं। लेकिन समाज मे बंधन होते हैं , उसका पालन करने के लिए सामज द्वारा बाध्य किया जाता हैं।

शिक्षा और समाजीकरण:- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 मे शिक्षा के लक्ष्यों मे यह इंगित किया हैं , कि शिक्षा मे लोकतंत्र, समानता ,न्याय, स्वतंत्र ,परोपकार, धर्म निरपेक्षता , मानवीय गरिमा व अधिकार तथा दौरे के प्रति आदर जैसे मूल्यों के प्रतिबद्धता शिक्षा के उद्देश्य के रूप मे होने चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य कारण और समझ पर आधरित होंने चाहिए, इसलिए पाठ्यचर्या में विद्यालयों के लिए अंदर ये बाते समाहित होने चाहिए। विद्यार्थी मे उपरोक्त गुण लाने के लिए संवाद विधि का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा मूल्य आधरित हों चाहिए, ज्ञान और दुनिया कि समझ के साथ दूसरे लोगों कि भावनाओं व कल्याण के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। शिक्षा के इन व्यापक लक्ष्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता हैं, जब नीति से लेकर कक्षागत शिक्षण तक इस बात की गंभीरता को समझना आवश्यक हैं। भारत मे विभिन्न प्रकार की सामाजिक-संस्कृतियाँ हैं। जिनकी अपनी विशेषता व विभन्नाताएं हैं। दूसरी बात यह हैं , कि विद्यालय व शिक्षा विद्यार्थी के समाजीकरण मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः विद्यालय का परिसर , पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तके और शिक्षण कि पद्धतियों द्वारा ही विद्यार्थियों का सफल समाजीकरण कर सकते हैं।

परिवार बालक का प्राथमिक समाजीकरण माध्यम रहता हैं , उसके बाद वह विद्यालय मे प्रवेश करता हैं। लेकिन शिक्षा के स्वरूप मे लिंग भेदभाव देखने को मिल जाएगा। आज भी रूढ़िवादी मान्यतों के कारण शिक्षा को सही स्वरूप नहीं मिला पाया हैं पुस्तकों के चित्र मे लिंग भेदभाव देखने को मिलते हैं।

अभ्यास प्रश्न :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न :-

1. किस अधिनियम के तहत ऐसे चलचित्रों पर रोक लगाया जाता हैं, जिसमे स्त्री मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जाता हैं।
   a) प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994
   b) चलचित्र अधिनियम 1952
   c) स्त्री विशिष्ट रूपण (प्रतिबंध) 1986

2. किस संविधान के किस अनुच्छेद में महिला व पुरुष के समान वेतन की वकालत की गई हैं:-
   a) अनुच्छेद 14
   b) अनुच्छेद 15
   c) अनुच्छेद 39

3. जिस परिवार में कुल –परंपरा पिता के नाम से चलती हैं, उसे कहा जाता हैं,
   a) पितृसत्तात्मक परिवार
   b) पितृवंशीय परिवार
   c) पितृस्थानीय परिवार

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. लिंग और सेक्स मे अंतर लिखिए?
2. लिंग का अर्थ और संकल्पना स्पष्ट कीजिये?
3. लिंग को परिभाषित कीजिये ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. लिंग विभेद से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए।
2. लैंगिक विशेषताओं को विस्तार से समझाईये।

3. लैंगिक समानता को सुदृढ़ बनाने मे विद्यालयों की क्या भूमिका स्पष्ट कीजिये।
4. शिक्षा मे लैंगिक समानता से संबन्धित अनुच्छेद की विस्तार से व्याख्या कीजिये।
5. लिंग विभेद के प्रमुख कारण लिखो ? उनके दूर करने के उपाय भी लिखिए।
6. विद्यालयों मे लिंग भेद को कैसे पोषित किया जाता हैं ?
7. मातृ सत्तात्मक व पितृ सत्तात्मक मे सौदाहरण तुलना कीजिये ?

इकाई 2

लिंग चुनौती और शिक्षा

Global commitment to "leaving no one behind" as set out in the Sustainable Development Goals (SDGs)

लिंग एक सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया हैं , जो व्यक्ति के व्यवहार , भूमिका जिम्मेदारियों और व्यवहार के पैटर्न को प्रभावित करती हैं। लिंग का कार्य समाज सम्मत होता हैं, जो समाज की संस्कृति के अनुसार निश्चित होते हैं। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक समाज में लिंग शक्ति सबन्धों पर आधारित होता हैं , जैसे भाई –बहन के रिश्ते , जिसमे भाई पर बहन की रक्षा का भार रहता है। पति-पत्नी के रिश्ते जिसमे पत्नी को आश्रिता की श्रेणी मे रखा जाता हैं। महिला को दोयम दर्जे की श्रेणी मे ही रखा जाता हैं।

वर्तमान समाज का विश्लेषण करे तो चिंता इस बात की हैं , किसी लिंग विशेष मे आत्मविश्वास कैसे लाया जाये। रुढिवादिता से घिरे समाज मे लिंग भेद इतनी गहराई में पैठ बना चुका हैं , कि शिक्षित समाज भी इससे अछूता नहीं रहा हैं। आज दोहरी मानसिकता के चलते स्वस्थ वातावरण नहीं बन पा रहा हैं। एक तरफ पुरुष प्रधान समाज महिला प्रगति के रास्ते खोल रहा हैं , तो दूसरी तरफ उनकी शारीरिक कमजोरी का लाभ लेने से भी नहीं चुकता हैं। महिलाओं का अपनी महत्वाकांक्षा के चलते काफी बढ़ी कीमत भी चुकानी पढती हैं। महिला भी अति महत्वाकांक्षा का शिकार होकर समाजिकता को भूल रही हैं , और महिलाओं की दुर्गति होती जा रही हैं। अतः शिक्षित समाज में लिंग भेद के कारण मनोविकार देखने को मिलते हैं ।

आज शिक्षित समाज मे ही हम विकृत रूप देख रहें हैं , महिला अपनी योग्यता पर आगे बढ़ना चाहती हैं , तो वह कही न कही शोषण का शिकार हो जाती हैं। विकसित और विकास- शील देशों में इसी प्रकार का लिंग भेदभाव देखने को मिलता हैं। वर्तमान समय मे यह चिंता का विषय हैं , लिंग के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण कैसे लाया जाये , और ये तभी संभव जब गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए।